रीर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0नं0 — 59/2024

उनवान : —

1. राजेन्द्र पुत्र गंगाराम जाति मेघवाल साकिन नेठराना तहसील भादरा।

:—प्रार्थी

बनाम्

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट
उपस्थिति :—श्री किशनलाल यादव प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 18.08.2025

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक नं. 3 एनटीआर के खाता संख्या 83/81 की कुल 2.024 है0 में 1/12 हिस्सा व 1/60 हिस्सा खाता संख्या 87/71 की कुल 9.1080 है0 भूमि में 1/12 हिस्सा व 1/60 हिस्सा तथा खाता संख्या 202/174 की कुल 5.6200 में 1/9 हिस्सा प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र पुत्र गंगाराम के स्थान पर अशुद्ध नाम राजू पुत्र गंगाराम व राजेन्द्र पुत्र चूसीदेवी दर्ज है, जो सही नहीं है, सही किये जाने का निवेदन है।

प्रार्थी के जिनके सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र एंव अन्य दस्तावेज़ों में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र गंगाराम दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सही प्रकार से उपयोग—उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्दि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद राजपैराकार तहसीलदार भादरा ने अपना जवाब पेश किया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा चक चक नं. 3 एनटीआर के खाता संख्या 83/81 की कुल 2.024 है0 में 1/12 हिस्सा व 1/60 हिस्सा खाता संख्या 87/71 की कुल 9.1080 है0 भूमि में 1/12 हिस्सा व 1/60 हिस्सा तथा खाता संख्या 202/174 की कुल 5.6200 में 1/9 हिस्सा प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र पुत्र गंगाराम के स्थान पर अशुद्ध नाम राजू पुत्र गंगाराम व राजेन्द्र पुत्र चूसीदेवी दर्ज है, अतः प्रार्थी का नाम राजू पुत्र गंगाराम व राजेन्द्र पुत्र चूसीदेवी के स्थान पर सही नाम राजेन्द्र पुत्र गंगाराम दर्ज किया जावें ताकि प्रार्थीगण अपनी वादभूमि का सही उपयोग उपभोग कर सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 14:35:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात तथा तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी व रिपोर्ट तहसीलदार के स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 3 एनटीआर के खाता संख्या 83/81 की कुल 2.024 है0 में 1/12 हिस्सा व 1/60 हिस्सा खाता संख्या 87/71 की कुल 9.1080 है0 भूमि में 1/12 हिस्सा व 1/60 हिस्सा तथा खाता संख्या 202/174 की कुल 5.6200 में 1/9 हिस्सा प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें प्रार्थी संख्या का नाम राजू पुत्र गंगाराम व राजेन्द्र पुत्र चूसीदेवी के स्थान पर सही नाम राजेन्द्र पुत्र गंगाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे एवं यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि राजू पुत्र गंगाराम व राजेन्द्र पुत्र चूसीदेवी के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम राजू पुत्र गंगाराम व राजेन्द्र पुत्र चूसीदेवी ही लागू होगा। नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार होगें।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2025. को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 14:55:37 IST
Reason: SelfAttested